



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-1, खण्ड (क)  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 27 दिसम्बर, 2021

पौष 6, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
विधायी अनुभाग-1

संख्या 1091/79-वि-1-21-1-क-35-21

लखनऊ, 27 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 जिससे खेल अनुभाग प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37 सन् 2021 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37 सन् 2021)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 संक्षिप्त नाम कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम  
संख्या 8 सन् 2021 की  
धारा 3 का संशोधन

धारा 10 का संशोधन

धारा 17-क का बढ़ाया  
जाना

2-उत्तर प्रदेश राज्य क्रीडा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) में शब्द "उत्तर प्रदेश राज्य क्रीडा विश्वविद्यालय" के स्थान पर शब्द "मेजर ध्यानचन्द क्रीडा विश्वविद्यालय" रखा दिया जाएगा।

3-मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

10-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :-

(एक) कुलाधिपति ;

(दो) कुलपति ;

(तीन) निदेशकगण ;

(चार) संकायाध्यक्ष ;

(पाँच) प्रधान कोच ;

(छः) कुलसचिव ;

(सात) परीक्षा नियंत्रक ;

(आठ) पुस्तकालयाध्यक्ष ;

(नौ) वित्त अधिकारी ; और

(दस) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें विनियमावली द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाये।

4-मूल अधिनियम में, धारा 17 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी:-

"17-क (1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश वित्त सेवा के वित्त अधिकारी अधिकारियों में से की जाएगी और वित्त अधिकारी की निबन्धन और शक्त, राज्य सरकार की संबंधित सेवा नियमावली के अनुसार शासित होंगी।

(2) वित्त अधिकारी, राज्य सरकार के अनुशासनिक नियंत्रण के अध्यक्षीन होगा। तथापि, कार्य परिषद समुचित जाँच करने के पश्चात् वित्त अधिकारी के विरुद्ध अनियमितताओं की रिपोर्ट या कार्यवाही की संस्तुति राज्य सरकार को करेगी।

(3) वित्त अधिकारी, वित्त समिति का पदेन सचिव होगा किन्तु वह ऐसी समिति का सदस्य नहीं समझा जाएगा।"

## उद्देश्य और कारण

राज्य में क्रीडा सम्बंधी महत्वाकांक्षाओं को गति देने और क्रीडा सम्बंधी वातावरण विकसित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में सम्बद्धताकारी तथा अध्यापन क्रीडा विश्वविद्यालय के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य क्रीडा विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

क्रीडाओं को सम्यक् मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि पूर्वोक्त क्रीडा विश्वविद्यालय का नाम मेजर ध्यानचन्द के नाम पर रखा जाए, जिनका भारतीय क्रीडाओं के प्रति बहुत बड़ा योगदान है। अग्रतर यह कि उक्त क्रीडा विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन को सुगम बनाने के उद्देश्य से वित्त अधिकारी का पद सृजित करने तथा उसके कार्य एवं उत्तरदायित्वों को परिभाषित करने की आवश्यकता का भी अनुभव किया गया है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य क्रीडा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2021) की धारा 3 एवं 10 में संशोधन करके उक्त अधिनियम में एक नयी धारा 17-क बढ़ाये जाने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश राज्य क्रीडा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,  
आतुल श्रीवास्तव,  
प्रमुख सचिव।

No. 1091(2)/LXXIX-V-1-21-1-ka-35-21

*Dated Lucknow, December 27, 2021*

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Kreedha Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 37 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 27, 2021. The Khel Anubhag is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH STATE SPORTS UNIVERSITY (AMENDMENT)  
ACT, 2021

(U.P. Act no. 37 of 2021)

*[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]*

AN  
ACT

*further to amend the Uttar Pradesh State Sports University Act, 2021.*

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Sports University (Amendment) Act, 2021. Short title
2. In sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh State Sports University Act, 2021 (hereinafter referred to as the "principal Act"), *for* the words "Uttar Pradesh State Sports University", the words "Major Dhyanchand Sports University" shall be *substituted*. Amendment  
of section 3 of  
U.P. Act no. 8  
of 2021
3. *For* section 10 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, Amendment  
of section 10  
namely :-
  - "10. The following shall be the officers of the University, namely:-
    - (i) the Chancellor;
    - (ii) the Vice-Chancellor;
    - (iii) the Directors;
    - (iv) the Deans;
    - (v) Head Coaches ;
    - (vi) the Registrar;
    - (vii) the Controller of Examinations ;
    - (viii) the Librarian;
    - (ix) the Finance Officer; and
    - (x) such other persons as may be declared by regulations, to be the officers of the University."

Insertion of section  
17-A

4. In the principal Act, *after* section 17 the following section shall be *inserted*, namely :-

"17-A (1) The Finance Officer shall be appointed by the State Government from amongst the officers of Uttar Pradesh Finance Services, and the terms and conditions of services of the Finance Officer shall be governed according to the concerned service rules of the State Government.

(2) The Finance Officer shall be subject to disciplinary control of the State Government. However, the Executive Council may report irregularities or recommend action against the Finance Officer to the State Government after making appropriate inquiry.

(3) The Finance Officer shall be the *ex-officio* Secretary of the Finance Committee, but shall not be deemed to be a member of such Committee."

-----

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh State Sports University is proposed to be established in Meerut District of Uttar Pradesh as an affiliating and teaching University of sports in order to spearhead sporting ambitions and to develop sports environment in the State.

In order to give sports due recognition, it has been decided that the aforesaid sports University be named after Major Dhyanchand whose contribution to Indian sports is immense. Further, a need has also been felt to create the post of Finance Officer and define work and responsibilities thereof in order to facilitate the smooth operation of the said Sports University.

In view of the above, it has been decided to amend sections 3 and 10 of the Uttar Pradesh State Sports University Act, 2021 (U.P. Act no. 8 of 2021) and insert a new section 17-A in the said Act.

The Uttar Pradesh State Sports University (Amendment) Bill, 2021 is introduced accordingly.

By order,  
ATUL SRIVASTAVA,  
*Pramukh Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 506 राजपत्र-2021-(1137)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 145 सा० विधायी-2021-(1138)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

